


24.02.2025

पहावली पेश हुई। निगरानीकर्ता उपस्थित नहीं, ना ही अतिवापक निगरानीकर्ता उपस्थित। आवाज लगाई गई कि एनी अतिवापक निगरानीकर्ता व निगरानीकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं। इससे निगरानीकर्ता की निगरानी-पहाने में रुके जाहिर नहीं होती है।

अतः पहावली अदम परवी अदम हाजरी में कवायज की जाती है। पहावली जम्बल से कम की जाकर दारिबल दफ्तरी।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(उम्मेदी लाल मीना)  
अपर जिला कलक्टर  
हनुमानगढ़